दिनांक : 17 जनवरी, 2014

क्या किसी मंत्री को खुद पुलिस का स्थान लेना चाहिए?

अरुण जेटली

राज्य सभा में विपक्ष के नेता

क्या कोई पुलिस अधिकारी मंत्री के निर्देश लेने को विवश है? कतई नहीं। एक पुलिस अधिकारी कानून के तहत अपने कर्तव्य का पालन करता है। उसका किसी मामले की जांच करने, तलाशी लेने, गिरफ्तारी करने और किसी संदिग्ध अथवा आरोपी पर मुकदमा चलाने का अधिकार दंड प्रक्रिया संहिता और अन्य कानूनों द्वारा नियंत्रित होता है।

प्रतिष्ठित ब्रिटिश जज लॉर्ड डेनिंग ने 1968 में यह सिद्धांत स्थापित किया था जब उन्होंने कहा था :

''मुझे कोई संदेह नहीं है, लेकिन उस जिम्मेदारी को संभालते समय, देश के किसी भी कान्सटेबल की तरह उसे भी सरकारी विभाग के प्रबंधन से मुक्त होना चाहिए, और वह है। वह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का आदेश मानने को विवश नहीं है... .....मैं इसे पुलिस आयुक्त का कर्तव्य मानता हूं, प्रत्येक चीफ कान्सटेबल, इस देश के कानून का पालन करे। अपने आदमी को तैनात करने के लिए उसे अवश्य कदम उठाने चाहिए ताकि अपराध का पता लगाया जा सके; और ईमानदार नागरिक अपना काम शांति से कर सकें। उसे अवश्य तय करना चाहिए कि संदिग्ध व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए अथवा नहीं; और, यदि जरुरत पड़े, अभियोग पक्ष को लाए अथवा देखे कि उसे लाया गया हो; लेकिन इन सभी कार्यों को करते समय वह किसी का नौकर नहीं है, खुद कानून की रक्षा करने वाला है। कोई भी मंत्री उसे यह नहीं कह सकता कि उसे अमूक कार्य अवश्य करना है, अथवा नहीं करना है, इस जगह अथवा उस जगह पर नज़र रखनी है; उसे इस व्यक्ति को दंडित करना है अथवा नहीं करना है। और न ही कोई पुलिस अधिकारी उसे ऐसा करने के लिए कह सकता है। उस पर कानून को अमल में लाने की जिम्मेदारी है। उसकी जवाबदेही कानून और केवल कानून के प्रति है।''

इस सिद्धांत को 1998 में विनीत नारायण (जैन हवाला मामला) मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया। एक पुलिस अधिकारी कानून का कड़ाई से पालन करने के लिए बाध्य है। कानून के अंतर्गत उसके अधिकार नागरिकों के जीवन और आजादी से संतुलित होते हैं। अगर वह अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कार्य विधि संबंधी सुरक्षा का उल्लंघन करता है, तो वह कानून के विपरीत कार्य करता है। किसी व्यक्ति की आजादी को सुरक्षित करने का संघर्ष वास्तविक कानून से ज्यादा कार्य विधि संबंधी सुरक्षा के कारण है।

अन्य जगहों पर जो कुछ हुआ है उससे इसकी तुलना कीजिए। 6 जुलाई 2000 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर के 16 वर्षीय पुत्र को लंदन के वैस्ट एंड में ''नशे में धुत्त और असमर्थ'' होने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने अपने पिता का नाम नहीं बताकर अपनी झूठी पहचान बताई। उसे चारींग क्रॉस पुलिस स्टेशन ले जाया गया। उसे एक कोठरी में डाल दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री ब्लेयर और उनकी पत्नी चेरी, जो उस समय पुर्तगाल में छुट्टियां मना रहे थे, को अपने पुत्र के साथ पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। प्रधानमंत्री और श्रीमती ब्लेयर ने समझदार लोगों की तरह काम किया और उनके पुत्र को अंतिम चेतावनी देने के बाद छोड़ दिया गया। साथ ही प्रधानमंत्री ब्लेयर को पुलिस स्टेशन जाने में कुछ भी गलत नहीं लगा बजाय इसके कि पुलिस उनके पास आती। उनकी टिप्पणी थी, 'माता–पिता भूमिका बड़ी कठिन है'। प्रधानमंत्री पुलिस के अधिकारों का पालन करने के लिए विवश थे।

खेद की बात ये है कि दिल्ली के एक स्थानीय मंत्री की वजह से कुछ विदेशी महिला नागरिकों को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा। उनकी पिटाई की गई और उन्हें मेडिकल जांच कराने के लिए मजबूर किया गया। उनकी अंदरुनी तलाशी भी ली गई। ये काम पुलिस ने नहीं किया बल्कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। किसी भी सभ्य न्याय शास्त्र में, इस गैर कानूनी कार्य के लिए, मंत्री को अपने इस गैर कानूनी आचरण के लिए हर्जाना देना चाहिए। एक व्यक्ति जो अलग से दिखाई दिया और जिसके लिए मेरे मन में सम्मान है वह एसीपी श्री बी. एस. जाखड़ हैं जिन्होंने मंत्री का विरोध किया लेकिन कानून का पालन किया। हम सभी को एसीपी जाखड़ को सलाम करना चाहिए।

*****